बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–17/विविध 1–24/2025   पटना, दिनांक–   /   /2025

श्री बिन्देश्वर नायक, तत्कालीन उप निदेशक (फार्मेसी) सम्प्रति सेवानिवृत, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के आरोप में दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–53/2008 दिनाक–14.08.2008 के तहत श्री नायक दिनांक–12.11.2008 से 19.02.2009 तक आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में संसीमित रहे। इस हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1086(17) दिनांक–09.12.2010 द्वारा श्री बिन्देश्वर नायक को बिहार सेवा संहिता के नियम–99 के तहत दिनांक–12.11.2008 से 19.02.2009 तक निलंबित किया गया। साथ ही साथ माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश निगरानी प्रथम के आदेश से दिनांक–20.02.2009 से जमानत पर उक्त कारा से मुक्त किये जाने के कारण दिनांक–20.02.2009 से निलंबन मुक्त किया गया।

2. माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश निगरानी प्रथम के आदेश से दिनांक–20.02.2009 से जमानत पर उक्त कारा से मुक्त किये जाने के उपरान्त श्री बिन्देश्वर नायक द्वारा दिनांक–20.02.2009 के पूर्वाह्न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि श्री नायक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर आपराधिक वाद सं०–12739/2010 में दिनांक–06.07.2010 को पारित न्यायादेश में अभियोजन को खारिज कर दिया गया है एवं इसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विशेष अनुमति याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–13.12.2010 को पारित न्यायादेश में खारिज कर दिया गया है।

4. अतः उक्त के आलोक मे श्री बिन्देश्वर नायक के दिनांक–12.11.2008 से 19.02.2009 तक की निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए उक्त अवधि के लिये पुर्ण वेतनादि की स्वीकृति प्रदान करते हुए विनियमित किया जाता है।

5. लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिया जाता है कि श्री नायक को उक्त अवधि के बकाये वेतनादि का भुगतान पूर्व में निलंबन अवधि का भुगतेय राशि का समायोजन नियमानुसार जॉच कर वेतन पुर्जा प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा।

6. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध 1–24/2025–511(17)   पटना, दिनांक :–20/05/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/विकास भवनं कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री बिन्देश्वर नायक, तत्कालीन उप निदेशक (फार्मेसी) सम्प्रति सेवानिवृत, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–फ्लैट नं०–403, शंकर अपार्टमेन्ट, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पो०–जी०पी०ओ०, जिला–पटना, पिन कोड–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/05/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Estt/D/Raumish Sir/Aadesh